कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax :- 01363-244204 E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक :- 1196/10 एल.ए. दिनांक :- 30/5/2017

सेवा में ,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :- **थिरपाक – काण्डई मोटर मार्ग के कि॰मी॰ 2 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :–

क्र॰ सं॰	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	Proceedings of village level committee (VLC) meeting pertaining to all the villages shown in village wise breakup is not furnished though the VLC provided for only one village Choprakot. The State Govt. may do the necessary correction in the information provided in village wise break up and the VLC proceedings pertaining to all villages are involved in the diversion of forest land may also provided/uploaded in online Part I	उक्त सभी ग्राम एक ही ग्रामसभा चोपड़ाकोट के अन्तर्गत आते है। जिसका FRA certificate पूर्व से ही पार्ट–। में संलग्न है।
2	The component wise break up dose not shows area marked for muck disposal in Part I.	पार्ट–। के क्रम संख्या B-2.4 में Component wise breakup में Road Construction हेतु 1.977 हे॰ और Muck Disposal हेतु 0.390 हे॰ अलग–अलग विवरण भर दिया गया है।
3	The administration and financial sanction for the road is for 4 km and one bridge. The State Govt. may clarify that the proposal involves construction of bridge or not. If not, then may also clarify the reasons.	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में 4 किमी॰ एवं 1 सेतु को सम्मलित किया गया है। सेतु को KML file में भी दर्शाया गया है। जो कि पार्ट–। के क्रम संख्या L (iv) के c में अपलोड कर दिया गया है।
4	The FRA certificate is undated.	FRA Certificate संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है।**(संलग्नक–1 पेज 2 से 7)**
5	There are two locations identified in forest area for muck dumping as per the information provided in the muck disposal plan in hard copy of the proposal but the details in not furnished in component wise break up therefore it is not clear that the area marked for muck dumping in forests in included in the area proposed for diversion or not. It required, revise the area after addition of this area marked for muck dumping in forest area and also made other necessary corrections in this regard in the proposal online part I and part II.	Muck Disposal Plan में forest area में 2 स्थानों पर Muck Dumping चिन्हित किया गया है। जिसमें पहला स्थान ग्राम तोलना तथा दूसरा स्थान ग्राम हीण कुल 0.390 हे॰ लिया गया है तथा पार्ट–। के क्रम संख्या B-2.4 में Component wise breakup में Muck Disposal हेतु 0.390 हे॰ का विवरण भर दिया गया है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार समस्त प्रपत्र।**

30/05/17

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो॰नि॰वि॰
कर्णप्रयाग

Annexure-I

FORM-I
(for Linear Projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated : 26 / 03 /2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that 2.367 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **Construction of Motor road from thirpak kandai motor road km 02 to Choprakot.** falls within jurisdiction of Choprakot Village in chamoli Tahsil./Ghat Tahsil

It is further certified that :-

(a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.367 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,

(c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

A.Kumar (IAS)
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)
जिलाधिकारी
चमोली

Annexure-I

Office of the District Collector, District-Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhnad), constiruted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri A.Kumar (IAS), District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 26.03.2015 At 13:00 hrs at Chamoli in which the application claiming rights in Village Choprakot of Tehsil Chamoli area Measuring 2.367 Hectares for the **Construction of Motor road from thirpak kandai motor road km 02 to Choprakot.** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Ghat / Chamoli Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

A.Kumar (IAS)
District Magistrate –cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli
जिलाधिकारी
चमोली

प्रपत्र–23.2

परियोजनाकानाम :– जनपद चमोली विकास खण्ड घाट मे माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत थिरपाल - काण्डई मोटर मार्ग के किमी० 02 से चोपडाकोट तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जन जाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्डस्तरीय समिति

उपखण्ड घाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत थिरपाल - काण्डई मोटर मार्ग के कि०मी० 02 से चोपडाकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0 आरक्षित वन भूमि, 0.280 हे0 सिविल एव सोयम वनभूमि .. 1.697 हे0 वनपंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.977 हे0वनभूमि) का लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्डस्तरीय समिति, (तहसील घाट/चमोली) की दिनांक 20-03-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवंनियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति की बैठक श्री अवधेश कुमार सिंह उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति की अध्यक्षता मे आयोजित की गयी।बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री अवधेश कुमार सिंह उपजिलाधिकारी ..... अध्यक्ष

2– श्री शिवानन्द सुमन उपप्रभागीय वनाधिकारी ..... सदस्य

3– श्री सुरेन्द्र लाल सहायक समाज कल्याणअधिकारी ..... सदस्य / सचिव

4– श्रीमती सुशीला रावत ..... वनाधिकार समीति सदस्य

श्री महिपाल सिंह नेगी ..... वनाधिकार समीति सदस्य

श्री मालदत्त पुरोहित ..... वनाधिकार समीति सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि...पिनपाक काण्डई मोटर मार्ग के km 02 से चौपडाकोट तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य.....परियोजना हेतु...1.977...हे0,वनभूमि...लो० नि० वि०.....प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया।ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है।उक्त भूमि का संबंधित ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुभांसा की गईहै।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ...चमोली..... द्वारा अनुसूचित जनजाति एव अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान का स्पश्ट करत`हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वनअधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।इस संबंध मे ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है।अतः प्रकरणमें उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकतीहै।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड...घाट.....परिक्षेत्र के अन्तर्गत...पिनपाक काण्डई मोटर मार्ग के km 02 से चौपडाकोट तक मो०मार्ग....परियोजना के निर्माणहेतु ...2.367.....हे0 वनभूमि...लो०नि०वि...प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति

तहसील–...घाट / चमोली.....

जनपद ...चमोली.....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ...चमोली.....को सूचनार्थ एवं आवभयक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति
तहसील–...घाट / चमोली.....
जनपद...चमोली.....

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :–

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम चौपड़ाकोट
तहसील घाट जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली अन्तर्गत थिरपाल-काण्डई मोटर मार्ग के कि० मी० 0.2 से चौपड़ाकोट मोटर मार्ग निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु शून्य हे0 आरक्षितवनभूमि, 0.280 हे0 सिविल सोयमभूमि, 1.697 हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात कुल 1.977 हे0 वनभूमि का लो० नि० वि० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय मे ग्राम पंचायत चौपड़ाकोट द्वारा दिनांक 16-03-15 को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्यनहीं किया जा रहा है।इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौपड़ाकोट के ग्रामवासियो को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्रामसचिव
वि0 अ0 चौपड़ाकोट
वि0 ख0 घाट चमोली

ह0/–
ग्रामप्रधान
ग्राम पंचायत
ह0 दीक्षा
वि0 ख0 घाट (चमोली)

नोट :–* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र मे दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 16-03-015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत पौखड़ाकोट

कमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रामप्रसाद	Ram
2	भवानी प्रसाद	
3	रमेशचन्द्र	Ramesh
4	दयाराम	दयाराम
5	नरेश कुमार	नरेशकुमार
6	पवन सती	पवन सती
6	बिल्टूलाल	बिल्टूलाल
7	राजेन्द्र लाल	राजेन्द्रलाल
8	मासन्ती देवी	मासन्ती देवी
9	चन्द्र प्रकाश	Chandra
10	विजयराम	विजयराम
11	प्रेम बल्लभ	प्रेमबल्लभ
12	रामप्रसाद सती	Rps
13	संजय प्रसाद	Sanjay
14	नरेश पन्त तोमला	नरेश पंत
15	पवन सती	Pawan
16	मुकुल	Mukul
17	महावीर	महावीर
18	शुभम	Subham
19	संतोष	संतोष

ह0/–
ग्रामप्रधान

ग्राम पंचायत पौखड़ाकोट
ह0 टीका
वि0ख0 भाट (चमोली)